::आदेश::

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/99/2020/एफ0सी0/2482 दिनांक 17.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.99है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.980है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम नौली के खसरा सं0 1294,1295,1296,1395,1396,1397,1400,1401 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी जाखणीधार के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 31/र0का0(2020–2021),दिनांक 0.12.2021 को उल्लेख किया है कि ग्राम नौली की ज0वि0र0 खतौनी खाता सं0 15 में दर्ज खसरा न0 1294/0.502है0,1295/0.812, 1296/1.123है0,1395/1.312है0,1396/0.852है0,1397म0/0.126है0,1400/0.441है0, 1401/0.812है0 कुल 08 खेत मध्ये कुल रक्वा 5.980है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा (है0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
नौली	पौड़ीखाल	15	1294 1295 1296 1395 1396 1397म0 1400 1401	0.502है0 0.812है0 1.123है0 1.312है0 0.852है0 0.126है0 0.441है0 0.812है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
			योग	**5.980है0**	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्याः–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी जाखणीधार के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 5.980 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 131 /XI–22 (2020–21)दिनांक,नई टिहरी, दिसम्बर,28 ,2021.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
8– तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।